कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बारां (राज.)

क्रमांक :– स्था./प.12/विविध–10/2024/1608 दिनांक : 13.06.2024

: : आ दे श : :

eCommittee, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ओर से जारी SOP [Standard Operating Procedure] के बिन्दु संख्या 32 में दिये गये निर्देशों की पालना में, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्र क्रमांक Gen/XV/147/2023/2327 दिनांक 05.12.2023 द्वारा SOP में दिये गये निर्देशानुसार **न्यायालय दस्तावेजों को उपलब्ध करवाने हेतु कार्यवाही करने के लिए कमेटी गठित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे। जिसकी अनुपालना में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था./2101 दिनांक 18.10.2024 द्वारा District Court Accessibility Committee का गठन किया गया था।**

कमेटी के सदस्य श्री कानाराम मीना–वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बारां का स्थानान्तरण हो जाने तथा उनके स्थान पर श्री अमरजीत सिंह को पदस्थापित किये जाने से, उक्त **आदेश दिनांक 18.10.2024 को अतिष्ठित करते हुये, निम्नलिखित अनुसार District Court Accessibility Committee का पुनर्गठन किया जाता है :–**

1. **श्री लोकेश कुमार शर्मा, विशिष्ट न्यायाधीश, एससी/एसटी (अ.नि.) प्रकरण बारां**
2. **श्री अमरजीत सिंह, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां**
3. **श्री शैलेष मेहता, अधिवक्ता, अभिभाषक परिषद बारां**
4. **श्री लोकेश कुमार चणोदिया, सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय बारां**

उक्त कमेटी दिव्यांगों को संलग्न माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्र दिनांक 05.12.2023 तथा Standard Operating Procedure में दिये गये निर्देशानुसार न्यायालय दस्तावेजों को उपलब्ध करवाने हेतु कार्यवाही करेगी ताकि दिव्यांगों के सामने आने वाली किसी भी चुनौति का तुरन्त समाधान सुनिश्चित हो सके।

—sd—
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बारां (राज.)

क्रमांक :– स्था./1608/789 दिनांक :– 13.06.2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
2. श्री लोकेश कुमार शर्मा, विशिष्ट न्यायाधीश, एससी/एसटी (अ.नि.) प्रकरण बारां
3. श्री अमरजीत सिंह, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां
4. श्री शैलेष मेहता, अधिवक्ता, अभिभाषक परिषद बारां
5. श्री लोकेश कुमार चणोदिया, सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय बारां
6. नोटिस बोर्ड, जिला न्यायालय, बारां
7. रिटर्न लिपिक, जिला न्यायालय बारां को निर्देश है कि District Court Accessibility Committee की प्रत्येक त्रैमास की रिपोर्ट अगले माह की 10 तारीख तक आवश्यक रूप से भिजवायी जावे। साथ ही उक्त त्रैमासिक रिपोर्ट को रजिस्ट्रार कम सीपीसी द्वारा उपलब्ध करवाये गये Login ID पर Online Mode से भी भिजवाया जावे।
8. आधिकारिक वेबसाईट बारां न्यायक्षेत्र

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बारां (राज.)